न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–232 सन् 2023

राज्य बनाम सुरेश कोरी एवं अन्य

थाना–हलिया, जिला–मीरजापुर।
मु0अ0सं0–21 सन् 2021

<u>आरोप</u>

मैं रचना अरोड़ा, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मिर्जापुर आप अभियुक्तगण सुरेश कोरी एवं अशरार हुसैन को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँ–

1. यह कि दिनांक 21.02.2021 को समय लगभग 14.10 बजे वहद्ग्राम ड्रमण्डगंज थाना हलिया जनपद मीरजापुर में उप–निरीक्षक रमाकान्त सिंह यादव द्वारा हमराहियान के साथ आप लोगों के कब्जे से 20 अदद् बैल (जिन्हें वाहन/ट्रक संख्या यू0पी0 73 ए–3142 में मुंह, सींग व पैर बांध कर क्रूरतापूर्वक लादा गया था एवं बैलों के मुंह से झाग निकल रहा था तथा वे हॉफ व कॉप रहे थे, जिनमें से एक बैल की मृत्यु हो गयी थी) अभिग्रहीत किया गया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3 व 5ए उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम का उल्लंघन है एवं धारा 8 में दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोग 20 अदद् बैल को क्रूरतापूर्वक वाहन में लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों के कब्जे से बरामद वाहन/ट्रक संख्या यू0पी0 73 ए–3142 में पीछे की ओर आप लोगों ने फर्जी व कूटरचित पंजीयन नम्बर प्लेट यू0पी0 70 ई0टी0–4719 लगाया था तथा आप लोगों के कब्जे से एक अन्य फर्जी व कूटरचित नम्बर प्लेट एच0आर0 55 के0–1876 बरामद हुआ। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों के कब्जे से बरामद वाहन/ट्रक संख्या यू0पी0 73 ए–3142 में पीछे की ओर आप लोगों ने पंजीयन नम्बर प्लेट यू0पी0 70 ई0टी0–4719 छल के प्रयोजन से तैयार करके लगाया था एवं आप लोगों के कब्जे से बरामद उक्त नम्बर प्लेट एच0आर0 55 के0–1876 आप लोगों ने छल के प्रयोजन से तैयार किया था। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों के कब्जे से बरामद वाहन/ट्रक संख्या यू0पी0 73 ए–3142 में आप लोगों द्वारा पीछे की तरफ पंजीयन नम्बर प्लेट यू0पी0 70 ई0टी0–4719 बेईमानी से असली के रूप में

उपयोग में लाए जाने हेतु लगाया गया था। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दण्ड सहिता की धारा 471 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को निर्देश देती हूँ कि उपरोक्त आरोप के लिए आप लोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–20.10.2023

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मॉग किया।

दिनांक–20.10.2023

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–232 सन् 2023

राज्य बनाम सुरेश कोरी एवं अन्य

थाना–हलिया, जिला–मीरजापुर।
मु0अ0सं0–21 सन् 2021

<u>दिनॉक–20.10.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण सुरेश कोरी एवं अशरार हुसैन व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित।

मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को आरोप सृजित किए जाने के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण सुरेश कोरी एवं अशरार हुसैन के विरूद्ध धारा 3/5ए/8 गोवध हत्या निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम एवं धारा 467, 468, 471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण सुरेश कोरी एवं अशरार हुसैन के विरूद्ध धारा 3/5ए/8 गोवध हत्या निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम एवं धारा 467, 468, 471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

अभियोजन साक्षी/प्राथमिकीकर्ता जरिए समन तलब हों। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 20.11.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।